ई–मेल / डाक

राजस्थान सरकार
(निर्वाचन विभाग)

क्रमांकः एफ.1(1) III / सी / निर्वा / 2012 / 1626 जयपुर,दिनांकः 8.5.2013

प्रेषक : मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान, जयपुर।

प्रेषित : समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलेक्टर) राजस्थान।

**विषय : विधानसभा आम चुनाव 2013 – ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच करने के संबंध में।**

**प्रसंग : विभाग का समसंख्यक पत्र कमांक 419 / 11.2.2013 एवं आयोग का पत्र कमांक 51 / 8 / 16 / 4 / 2013–ईएमएस दिनांक 03 मई, 2013**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग ने प्रासंगिक पत्र दिनांक 03 मई, 2013 के द्वारा सूचित किया है कि आगामी विधानसभा आम चुनाव के दौरान मतदान के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जायेगा। इस विषय में आम चुनाव के दौरान विभिन्न प्रयोजनार्थ प्रयुक्त की जाने वाली ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच का कार्य आवश्यक रूप से 15 अगस्त, 2013 तक पूर्ण किया जाना है। आयोग ने विभाग को इस विषय में निर्देश दिये है कि वह निर्माता फर्म भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, बैगलोर जिनकी कि ईवीएम राज्य में उपलब्ध है से विचार–विमर्श कर प्रथम स्तरीय जॉच हेतु कार्यक्रम निर्धारित करें तथा आयोग द्वारा निर्धारित तिथि से पूर्व राज्य के सभी जिलों में ऐसी ईवीएम जो कि रिट पीटिशन से बाधित है को छोड़कर सभी मशीनों की प्रथम स्तरीय जॉच कराई जाए।

2. भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रथम स्तरीय जॉच से पूर्व सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों (कलेक्टर) से अपेक्षा की है कि वह प्रथम स्तरीय जॉच हेतु एक बड़े एवं सुरक्षित हॉल जिसमें लाईट आदि की व्यवस्था हो कराया जाना सुनिश्चित करें तथा समुचित संख्या में स्टॉफ की व्यवस्था भी सुनिश्चित कर ली जाए जिससे कि इस कार्य के लिए नियुक्त नोडल अधिकारी भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, बैगलोर द्वारा अधिकृत इजीनियर्स / टेकनीशियनों के आने पर प्रथम स्तरीय जॉच का कार्य तुरन्त प्रारम्भ करवा सकें। विभाग द्वारा इस विषय में प्रासंगिक पत्र दिनांक 11.2.2013 के द्वारा भी सूचित किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) कृपया अविलम्ब नोडल अधिकारी के साथ बैठक आयोजित कर यह सुनिश्चित कर लें कि प्रथम स्तरीय जॉच के विषय में उपरोक्त सभी तैयारी कर ली गयी है।

3. भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य के सभी जिलों में जिला मुख्यालय पर उपलब्ध ईवीएम की तकनीकी जॉच का कार्य निर्माता फर्म के तकनीशियनों द्वारा किया जा रहा है तथा अधिकांश जिलों में यह कार्य पूर्ण हो गया है। विभाग में प्राप्त सूचना के अनुसार जिला बाड़मेर,

जैसलमेर, चित्तौड़गढ़ एवं अजमेर में निर्माता फर्म के टेक्नीशियन अभी तक नहीं पहुँचे है **इसलिए संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) से अनुरोध है कि वह श्री पी0 कृष्ण कुमार, जनरल मैनेजर, भारत इलेक्ट्रोनिक लिमिटेड, बैगलोर के कार्यालय के टेलीफोन नं0 080—22195551 पर अथवा मो0 नं0 09900570251 पर सम्पर्क कर तकनीकी जॉच हेतु तकनीशियन भेजने के विषय में कार्यक्रम निर्धारित करवा लें तथा यह कार्य आवश्यक रूप से आगामी 3—4 दिवसों में पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित कर लें।**

4. जिन जिलों में निर्माता फर्म के टेक्नीशियनों द्वारा तकनीकी जॉच का कार्य पूर्ण कर लिया गया है से प्राप्त सूचना के अनुसार यह सामने आया है कि लगभग 15—20 प्रतिशत ईवीएम तकनकी जॉच में खराब पाई गई है। विभााग द्वारा इस विषय में निर्माता फर्म को यह प्रस्तावित किया गया है कि वह अविलम्ब इन मशीनों की रिपेयर करने हेतु समुचित संख्या में टीम भेजे, जिससे कि उक्त मशीने ठीक हो सके तथा कुल त्रुटिरहित ईवीएम की संख्या का आकंलन किया जा सके तथा तद्नुसार जिले की आवश्यकतानुसार ईवीएम का आवंटन/स्थानांतरण किया जा सके। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) से अनुरोध है कि निर्माता फर्म द्वारा रिपेयर से संबंधित टीम जिले में भेजने पर खराब पाई गई ईवीएम को ठीक करवा लें तथा ऐसी मशीनें जो कि रिपेयर नहीं हो सकती हो, की मार्किंग तद्नुसार आयोग के ईवीएम ट्रेकिंग साफटवेयर में करें।

5. विभाग स्तर पर जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के मतदान केन्द्रों की संख्या पर, आरक्षित ईवीएम, एवं प्रशिक्षण एवं प्रचार—प्रसार हेतु आवश्यक मशीनों की संख्या का आंकलन कर यह निर्धारित कर लिया गया है कि विभिन्न जिलों में कितनी संख्या में ईवीएम की आवश्यकता होगी। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा राज्य को अतिरिक्त ईवीएम का आवंटन कर दिया गया है। राज्य के जिलों में जैसे ही निर्माता फर्म के तकनीशियनों द्वारा खराब ईवीएम रिपेयर का कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा, उसके तुरन्त बाद ईवीएम का आवंटन कर दिया जायेगा। इस विषय में जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर) से अनुरोध है कि विभाग से अतिरिक्त ईवीएम का आवंटन करने पर इन्हें प्राप्त करने हेतु अभी से ही अधिकारियों/कर्मचारियो का चिन्हिकरण कर ले जो कि यथा समय विभाग द्वारा दर्शाए गए स्थान से ईवीएम प्राप्त करेगें।

6. ईवीएम की प्रथम स्तरीय जॉच के विषय में विभाग द्वारा 03 मई, 2013 को राज्य स्तर पर उप जिला निर्वाचन अधिकारियों/ईवीएम के सहायक नोडल अधिकारियों के लिए एक प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था। इस प्रशिक्षण के दौरान प्रथम स्तरीय जॉच से संबंधित आयोग के सभी दिशा—निर्देश उपलब्ध कराए गये है। सुलभ संदर्भ हेतु आयोग के दिशा निर्देश दिनांक 04.08.2010, 23.09.2010, 08.12.2010, 19.01.2012 एवं 02.07.2012 आपको पुनः प्रेषित किये जा रहे है। कृपया इन दिशा—निर्देशों का भलीभॉति अवलोकन कर लें जिससे कि प्रथम स्तरीय जॉच का कार्य आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित समय पर सम्पादित कराया जा

सके। यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा दिनांक 03 मई, 2013 को जयपुर में आयोजित प्रशिक्षण के दौरान पावरपाईन्ट प्रजेन्टेंशन के माध्यम से दी गयी प्रस्तुति भी विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध करा दी गयी है, जिसका पुनः अध्ययन किया जा सकता है।

कृपया उपरोक्त दिशा–निर्देशों की पालना किया जाना सुनिश्चित करें तथा प्रथम स्तरीय जॉच के विषय में प्रारम्भिक तैयारियॉ अभी से सुनिश्चित कर ली जाए जिससे कि कार्यक्रम प्राप्त होने पर प्रथम स्तरीय जॉच का कार्य अविलम्ब प्रारम्भ किया जा सके।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अशोक जैन)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी,
राजस्थान,जयपुर।